भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

परिपत्र सं.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/21/01/2023 — 19 जनवरी, 2023
Circular no: IRDAI/NL/CIR/MISC/21/01/2023 — 19th January, 2023

सभी साधारण बीमा कंपमानियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CEOs /CMDs of all General Insurance Companies

विषय: उत्तराखंड राज्य के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अवतलनों और भूस्खलनों के पीड़ितों के बीमा दावों के संबंध में दिशानिर्देश
Re: Guidelines on Insurance claims of victims of Subsidence and Landslides in the calamity affected areas in the State of Uttarakhand.

जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड राज्य में कुछ क्षेत्रों में अवतलन और भूस्खलन ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित बीमित आबादी की मुश्किलों को कम करने हेतु उनके योग्य दावों का तुरंत पंजीकरण करने और उनका निपटान सुनिश्चित करने के लिए साधारण बीमा कंपनियों द्वारा तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है।
As you are aware, Subsidence and Landslide have caused loss to property in some areas in the State of Uttarakhand. There is an urgent need for the general insurers to take immediate steps to mitigate the hardships of the affected insured population by ensuring immediate registration and settlement of eligible claims.

2. आपको परामर्श दिया जाता है कि दावों का त्वरित पंजीकरण करने और उनका निपटान करने हेतु निम्नप्रकार से तुरंत कदम उठाएँ:-
You are advised to initiate immediate steps for quick registration and disposal of claims on the following lines:-

क. कृपया कंपनी स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत करें जो उत्तराखंड के प्रभावित जिलों में एक नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएगा। नोडल अधिकारी योग्य दावों की प्राप्ति, प्रसंस्करण और निपटान का समन्वयन करेगा। नोडल अधिकारी को राज्य सरकार के पदनामित अधिकारियों से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उसके बाद भी निरंतर संपर्क में रहना चाहिए।
a. Please nominate a senior officer at the company level who would act as a Nodal Officer in the affected districts of Uttarakhand. The Nodal Officer would be coordinating the receipt, processing, and settlement of all eligible claims. The Nodal officer should contact the designated officers of the State Govt. immediately and be in regular contact thereafter.

ख. यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सभी दावों का तुरंत सर्वेक्षण किया जाता है और दावा भुगतानों / खाते पर भुगतानों का यथाशीघ्र भुगतान किया जाता है और किसी भी स्थिति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है।
b. It needs to be ensured that all claims are surveyed immediately and claim payments/on account payments are disbursed at the earliest and in any case not exceeding the stipulated time-line.

ग. आवश्यकतानुसार, पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षकों को तुरंत काम पर लगाया जाए और यदि आवश्यक हो तो पास-पड़ोस के क्षेत्रों से भी सर्वेक्षकों को काम पर लगाने पर विचार किया जाए।
c. Adequate number of surveyors may be engaged immediately as required and, if need be, consider engaging surveyors from neighbouring areas as well.

घ. आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा किए गए उपायों पर विधिवत प्रकाश डालते हुए, एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

d. You are also requested to launch extensive awareness campaign duly highlighting the measures taken by you.

ड. बीमा पालिसीधारकों को, दावे की सूचना देते समय और सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ फाइल करते समय पत्रव्यवहार के लिए, जहाँ भी संभव हो इलेक्ट्रानिक संचार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाय। दावों का आकलन करने के लिए यथासंभव डिजिटल प्रक्रियाओं को बहाल करने के प्रयास किए जाएं।

e. The Insurers shall encourage the policyholders to use electronic communication wherever possible for correspondence while intimating the claim and filing all the relevant documents. Efforts shall be made to ensure that digital processes are resorted to the extent possible for assessment of claims.

3. हम आपसे अनुरोध कराते हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में दावों के त्वरित निपटान के लिए अति आवश्यक कदम उठाएँ और उसका विवरण रखें। दावों का विवरण मासिक आधार पर, इसके साथ संलग्न प्रारूप में (nl-returns@irdai.gov.in) को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाए।

We request you to take urgent steps for expeditious settlement of claims in the affected areas and maintain the details of the same. The claims data shall be submitted to the Authority on a monthly basis (to nl-returns@irdai.gov.in) in the format enclosed herewith.

(डी वी एस रमेश / D V S Ramesh)
मुख्य महाप्रबंधक(गैर जीवन) /Chief General Manager (Non-Life)